

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(2)साप्र/5/2015

जयपुर, दिनांक: 08.07.2015

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रूपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम व पद	ग्रेड-पे	वरियता संख्या	सेवानिवृति दिनांक	राजकीय आवास संख्या
1.	डॉ. सोमकान्त भोजक, व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान	9000/-	25/2014	30.06.2018	ए-1, बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
2.	श्री उम्मेद सिंह, महा प्रबन्धक, राज0 राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, जयपुर।	7600/-	26/2014	30.09.2032	बी-1-19 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
3.	श्री संजीव नर्जरी, महानिरीक्षक पुलिस, सीआईडी(सीबी), जयपुर।	10000/-	29/2014	28.02.2030	एफ-11-70 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
4.	डॉ0 पारूल टेमानी, सहायक प्रोफेसर, राजकीय दन्त महाविद्यालय, जयपुर।	6600/-	31/2014	28.02.2045	एच-1-92 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाजनगर, जयपुर
5.	श्री अजय कुमार सबल, औषधि नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।	5400/-	31/2013	30.04.2048	ए-11-11 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
6.	श्री अशोक कुमार मीणा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।	5400/-	33/2013	31.07.2038	बी-1-17 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
7.	श्रीमती सीमा मीणा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।	5400/-	34/2013	31.10.2045	सी-1-31 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
8.	डॉ. देवेन्द्र सिंह, रेजि0 चिकित्सक अधिकारी, अस्थि रोग विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर।	5400/-	42/2013	31.12.2043	सी-27 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
9.	श्री रामरूप मीणा, नर्स ग्रेड-द्वितीय, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	4200/-	43/2013	31.08.2047	ई-51 बजाजनगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
10.	डॉ. आनन्द प्रकाश, रेजि0 चिकित्सा अधिकारी, अस्थि रोग विभाग, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	5400/-	44/2013	01.10.2044	ई-11-58 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर
11.	श्रीमती गुणवती, नर्स ग्रेड-द्वितीय, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	4200/-	45/2013	31.11.2036	ई-11-59 बजाज नगर, अपार्टमेन्ट, बजाज नगर, जयपुर

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होगी :-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
5. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
6. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।

P.T.O.

2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/वृत्ति व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
7. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से



(अनिल कुमार गुप्ता)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि० विभाग, (विद्युत वृत्त) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्तें संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि०वि०निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर।
10. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सा.प्र.वि।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें।
15. रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव